

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 05/2024 अपील

- |  |             |  |
|--|-------------|--|
| <p>1. उर्मिला यादव पत्नी<br/>रतनलाल यादव पुत्री<br/>छगनलाल अहीर निवासी<br/>ग्राम-सरेरी हाल सुतरखाना<br/>मोहल्ला, नसीराबाद जिला<br/>अजमेर</p> | <p>बनाम</p> | <p>1. राजेन्द्र कुमार पुत्र छगनलाल अहीर<br/>निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, सरेरी<br/>तहसील हुरड़ा हाल निवासी<br/>9/324, गोविन्द मार्ग, स्वामिनारायण<br/>मंदिर के पास, चित्रकुट, जयपुर<br/>जिला भीलवाड़ा<br/>2. सुशीला यादव पत्नी चन्द्रभान यादव<br/>पुत्री छगनलाल अहीर निवासी सरेरी<br/>हाल निवासी रेल्वे स्टेशन के पास,<br/>सरेरी तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा<br/>3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार<br/>हुरड़ा</p> |
|--|-------------|--|

—अपीलार्थी

—रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध तहसीलदार  
हुरड़ा द्वारा जारी नामान्तरण आदेश संख्या 722 दिनांक 22/06/1994

उपस्थित —

1. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता — अपीलार्थी की ओर से



## निर्णय

दिनांक 14.10.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम भवानीपुरा, पटवार हल्का सरेरी तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 888/2, 890, 891, 892, 893/2, 894/2 भूमि खातेदार छगनलाल पिता सेडुराम अहीर के नाम दर्ज थी। खातेदार छगनलाल अपीलाण्ट के पिता है जिनका निधन वर्ष 1994 में हुआ था। तत्समय अपीलाण्ट एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 जो कि मृतक छगनलाल के पुत्र, पुत्री हैं जिन्दा थे अर्थात् छगनलाल के मृत्यु के समय खातेदार छगनलाल का 1 पुत्र राजेन्द्र कुमार व 2 पुत्रियां उर्मिला देवी एवं सुशीला जीवित थी। लेकिन रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 राजेन्द्र कुमार ने हल्का पटवारी से मिलीभगती कर छगनलाल की मृत्यु के बाद गलत सजरा वर्णित करते हुए, मात्र रेस्पों-1 राजेन्द्र कुमार को ही एकमात्र वारिस बताते हुए राजेन्द्र कुमार के नाम नामान्तरण खुलवा लिया जबकि उक्त दोनों पुत्रियां भी जीवित होकर प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान थी। इस कारण नामान्तरण रेस्पों-1 के साथ साथ अपीलाण्ट व रेस्पों-2 के नाम

*Dr.*  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

भी खुलना चाहिए था किन्तु पटवारी व गिरदावर ने उक्त प्रकरण में किसी तरह की जांच नहीं की और रेसपो-3 तहसीलदार ने भी बिना किसी जांच किए नामान्तरण तस्दीक कर छगनलाल के बजाय राजेन्द्र कुमार के नाम विरासत के आधार पर नामान्तरण फ़ैसल कर दिया, जो जैर बहस अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट को नामान्तरण जैर बहस की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। अभी हाल ही में दिनांक 19.12.2023 को राजस्व रेकॉर्ड की नकल देखने पर जानकारी हुई कि राजस्व रेकॉर्ड में अकेले रेसपोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर हैं। तब नामान्तरण की जानकारी कर दिनांक 20.12.2023 को नामान्तरण की नकल प्राप्त कर यह अपील जानकारी से अंदरअवधि प्रस्तुत की जा रही है। हालांकि नामान्तरण पूरी तरह विधिक स्थिति के विपरीत है एवं नामान्तरण को अपास्त हेतु मियाद अधिनियम के प्रावधान किसी प्रकार बाधक नहीं है फिर भी जानकारी के अभाव में अपील देरी से प्रस्तुत की जा रही है जिसका कारण अपीलान्ट का कानुनी स्थिति से अनभिज्ञ होना रहा है। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किए जाने हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमा कर नामान्तरण जैर बहस को अपास्त फरमाते हुए रेसपो-1 के साथ-साथ अपीलान्ट एवं रेसपो-2 के नाम पर नामान्तरण खोले जाने बाबत आदेश प्रदान फरमावें।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 व 02 बावजूद सम्मन तामील के लगातार अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 01 व 02 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। प्रकरण में अपीलान्ट अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजियात में अपीलान्ट एवं रेसपोडेन्ट संख्या 1 व 2 जो कि मृतक छगनलाल के पुत्र, पुत्री हैं जिन्दा थे अर्थात छगनलाल के मृत्यु के समय खातेदार छगनलाल का 1 पुत्र राजेन्द्र कुमार व 2 पुत्रियां उर्मिला देवी एवं सुशीला जीवित थी। लेकिन रेसपोडेन्ट संख्या 1 राजेन्द्र कुमार ने हल्का पटवारी से मिलीभगती कर छगनलाल की मृत्यु के बाद गलत सजरा वर्णित करते हुए, मात्र रेसपो-1 राजेन्द्र कुमार को ही एकमात्र वारिस बताते हुए राजेन्द्र कुमार के नाम नामान्तरण खुलवा लिया जबकि उक्त दोनों पुत्रियां भी जीवित होकर प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान थी। इस कारण नामान्तरण रेसपो-1 के साथ साथ अपीलान्ट व रेसपो-2 के नाम भी खुलना चाहिए था किन्तु पटवारी व गिरदावर ने उक्त प्रकरण में किसी तरह की जांच नहीं की और रेसपो-3



तहसीलदार ने भी बिना किसी जांच किए नामान्तरण तस्दीक कर छगनलाल के बजाय राजेन्द्र कुमार के नाम विरासत के आधार पर नामान्तरण फैसल कर दिया, जो जैर बहस अपास्त होने योग्य है। निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमा कर नामान्तरण जैर बहस को अपास्त फरमाते हुए रेस्पों-1 के साथ-साथ अपीलान्ट एवं रेस्पों-2 के नाम पर नामान्तरण खोले जाने बाबत आदेश प्रदान फरमावें।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर नन किया। जिस अनुसार पाया गया कि अपीलान्ट ने अपील में अंकन किया कि उन्हे उक्त नामान्तरकरण की जानकारी वर्ष 2023 में हुयी। किन्तु अपीलान्ट ने 30 वर्ष पश्चात् उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किये एवं न ही इस हेतु कोई प्रमाणिक दस्तावेज पेश किये। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने से अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। प्रार्थीया घोषणात्मक वाद द्वारा ही सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकती है।

उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव—

### आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Handwritten signature)*  
14.10.25  
(रणजीत सिंह)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
भिलवाड़ा